



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092020-221658
CG-DL-E-10092020-221658

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2746]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2020/भाद्र 19, 1942

No. 2746]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2020/BHADRA 19, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2020

का.आ. 3093(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3565 (अ) तारीख 30 सितम्बर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में NH53 के कि.मी. 253.5 से कि.मी.279.25 (तह. बाळापुर, जिला अकोला) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "14 नवंबर 2019" को "दि टाइम्स ऑफ़ इण्डिया" अंग्रेजी दैनिक और "लोकमत" मराठी दैनिक दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 पर प्रस्तावित कि.मी. 253.5 से कि.मी.279.25 (तह. बाळापुर, जिला अकोला) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: अकोला			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध/व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बाळापूर				
	गांव का नाम: शेळद				
1	64	निजी	कृषि योग्य	0.05	गोविंदा समाधान शिन्ने (64)
2	64	निजी	कृषि योग्य	0.06	छगन समाधान शिन्ने (64)
3	64	निजी	कृषि योग्य	0.11	रविंद्र समाधान शिन्ने (64)
4	64	निजी	कृषि योग्य	0.06	संतोष समाधान शिन्ने (64)
5	64	निजी	कृषि योग्य	0.07	अनिल समाधान शिन्ने (64)
			कुल	0.35	

[फा. सं. NHAI/PIU/AMT/ADJ/LA/2010/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2020

S.O. 3093(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. No.3565 (E) Dtd.30th September, 2019**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH53 on the stretch of land from Km. 253.5 to Km. 279.25 (Tq. Balapur, Dist. Akola) in the district of AKOLA in the State of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “*The Times of India*” English Daily and “Lokmat” Marathi Daily both dated 14th November, 2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas No objections have been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH53 in the stretch of land from Km. 253.5 to Km. 279.25 of NH53 (Tq. Balapur, Dist. Akola) in the district of AKOLA in the State of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: AKOLA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Balapur				
	Village: Shelad				
1	64	Private	Agriculture	0.05	Govinda Samadhan Shitre 64
2	64	Private	Agriculture	0.06	Chhagan Samadhan Shitre 64
3	64	Private	Agriculture	0.11	Ravindra Samadhan Shitre 64
4	64	Private	Agriculture	0.06	Santosh Samadhan Shitre 64

5	64	Private	Agriculture	0.07	Anil Samadhan Shitre 64
			TOTAL	0.35	

[F. No. NHAI/PIU/AMT/ADJ/LA/2010/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.